कार्यालय, प्रभागीय वनाधिकारी, कन्नौज वन प्रभाग, कन्नौज

पत्रांक– 319 /14–1, कन्नौज, दिनांक, 17-8-,2023

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक
कानपुर मण्डल, कानपुर

विषय :– साउथ ईस्ट यू० पी० पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड द्वारा **765** के० वी० सिंगल सर्किट मैनपुरी - उन्नाव पारेषण लाइन के निर्माण हेतु मैनपुरी में प्रभावित **1.5364** हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग व **238** वृक्षों के पातन, कन्नौज में प्रभावित **0.32** हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग व **8** वृक्षों के पातन, कानपुर में प्रभावित **0.8155** हे० संरक्षित एवं **1.1391** हे० आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग व **113** वृक्षों के पातन तथा उन्नाव में प्रभावित **0.7069** हे० संरक्षित एवं **6.2790** हे० आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग व व **4058** वृक्षों के पातन अर्थात **3.3788** हे० संरक्षित एवं **7.4181** हे० आरक्षित वनभूमि कुल **10.7969** हे० वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक **4417** वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ का पत्रांक 3413/11–सी–FP/UP/Trans/21539/2016 दिनांक 26.04.2023।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के कम में अनुरोध है कि विषयक प्रकरण में सन्दर्भित पत्र द्वारा कतिपय आपत्तियों पर आख्या/सूचना चाही गयी है। महाप्रबन्धक, साउथ ईस्ट यू0पी0 पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0, विभूति खण्ड, गोमती ने अपने पत्र दिनांक 29.06.2023 से उठाई गयी उक्त आपत्ति का निराकरण कर उपलब्ध करायी गयी आख्या व इस कार्यालय से वॉछित सूचना निम्नवत् है–

क्रम सं०	अपेक्षित आख्या	निराकरण
1.	प्रस्ताव में प्रस्तावित वन भूमि का 1:50000 माप का रंगीन टोपोशीट संलग्न नहीं है।	प्रस्तावक विभाग द्वारा पृष्ठ संख्या 77–78 पर संलग्न कर दिया गया है।
2.	प्रस्ताव में प्रस्तावित परियोजना वनभूमि में प्रस्तावित करने का औचित्य (जस्टिफिकेशन) प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।	प्रस्तावक विभाग द्वारा पृष्ठ संख्या 66-67 पर संलग्न कर दिया गया है।
3.	प्रस्ताव में पातन होने वाले वृक्षों की सूची संलग्न है किन्तु ऑनलाइन भाग – २ के अनुसार व्यासवार वैज्ञानिक नाम सहित सारांश संलग्न नहीं है।	प्रस्तावक विभाग द्वारा पृष्ठ संख्या 44 (1) पर संलग्न कर दिया गया है।
4.	पारेषण लाइन में आने वाले वृक्षों, जिनका पातन नहीं किया जाना है, वैज्ञानिक नाम एवं व्यासवार सहित सूची संलग्न नहीं है।	प्रस्तावक विभाग द्वारा पृष्ठ संख्या 44 (2) पर संलग्न कर दिया गया है।
5.	प्रस्तावित वन भूमि के एन० पी० वी० में संशोधन के उपरान्त बढ़ी हुई एन० पी० वी० की धनराशि के भुगतान की वचनबद्धता संलग्न नहीं है।	प्रस्तावक विभाग द्वारा पृष्ठ संख्या 51 (1) पर संलग्न कर दिया गया है।
6.	इको क्लास की गणना संलग्न है किन्तु गणना में प्रस्तावित वनभूमि का क्षेत्रफल गलत अंकित है। अतः सही क्षेत्रफल अंकित कर संशोधित गणना प्रस्ताव में संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करें।	संशोधित गणना प्रस्ताव में संलग्न कर दी गयी है।
7.	प्रस्ताव में संलग्न किया गया वन अधिकार अधिनियम –२००६ के अंतर्गत जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र मूल में नहीं है, अतः जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र मूल में संलग्न करें।	वन अधिकार अधिनियम–2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी द्वारा निर्गत एफ0आर0ए0 प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने सम्बन्धी वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 82 पर संलग्न है।
8.	गजट नोटिफिकेशन की प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा सत्यापित छायाप्रति संलग्न है किन्तु स्थल चिन्हित नहीं है।	गजट नोटिफिकेशन में स्थल चिन्हित कर दिया गया है।
9.	प्रस्ताव में पेज संख्या गलत अंकित है, अतः क्रमवार पेज संख्या अंकित कर संशोधित विषय सूची प्रस्ताव में संलग्न करें।	संशोधित कर दिया गया है।

10.	हार्डकॉपी भाग – 2 में प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल गलत अंकित है, अतः सही क्षेत्रफल अंकित कर संशोधित हार्ड कॉपी भाग – 2 प्रस्ताव में संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करें।	संशोधित कर ऑनलाइन अपलोड कर दिया गया है।
11.	ऑनलाइन भाग – 2 के क्रमांक – 5 में त्रुटिपूर्ण डाटा फीड किया गया है, अतः सही डाटा फीड करें।	संशोधित कर दिया गया है।
12.	प्रस्ताव में CA के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र एवं पृष्ठ सं० – 43 पर संलग्न प्रमाण पत्र में प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल गलत अंकित है, अतः सही क्षेत्रफल अंकित करे।	संशोधित कर दिया गया है।
13.	लीज रेंट प्रमाण पत्र में 30 वर्ष का उल्लेख है, जबकि ऑनलाइन पार्ट – 1 में 35 वर्ष अंकित है, जो कि त्रुटिपूर्ण है, अतः सही डाटा लीज वर्ष अंकित करे।	प्रस्तावक विभाग द्वारा संशोधित कर दिया गया है।
14.	तीन वैकल्पिक रुट्स की टोपोशीट संलग्न है किन्तु उस पर शीर्षक व लीजेंड गलत अंकित है तथा प्रस्तावित रुट्स का तुलनात्मक जस्टिफिकेशन तथा तीन वैकल्पिक रुट्स का जिओ रिफरेन्स डिजिटल मैप, KML फाइल भी प्रस्ताव में संलग्न नहीं है।	प्रस्तावक विभाग द्वारा संशोधित कर दिया गया है।
15.	CA के समेकित रूप से सोनभद्र वन प्रभाग में प्रस्तावित है तथा इसे उन्नाव वन प्रभाग द्वारा भरा जाना है, अतः ऑनलाइन भाग – 2 के क्रमांक –13 में अपलोड किये गए CA से सम्बंधित अभिलेखों को डिलीट करें।	ऑन लाइन भाग–2 में पूर्व से अपलोड CA से सम्बन्धित अभिलेखों का डिलीट कर दिया गया है।
16.	ऑनलाइन भाग – 2 के एडिशनल इनफार्मेशन डिटेल में अपलोड स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट एवं संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट में प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है।	हस्ताक्षरित स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट एवं संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट ऑन लाइन भाग–2 में अपलोड कर दी गयी है।
17.	ऑनलाइन भाग – 2 के क्रमांक – 16 में प्रभागीय वनाधिकारी की संस्तुति अपलोड नहीं है।	ऑन लाइन भाग–2 में संस्तुति अपलोड कर दी गयी है।
18.	प्रस्ताव में संलग्न पेन ड्राइव में पी०डी०ऍफ़० फाइल अलग – अलग है, जो कि त्रुटिपूर्ण है , अतः उपरोक्त कमियों के निराकरण के उपरान्त संशोधित प्रस्ताव की एक पी०डी०ऍफ़० फाइल तथा प्रस्ताव की kml फाइल एवं तीन वैकल्पिक रुट्स की kml फाइल पेन ड्राइव में अपलोड कर तीनों प्रस्तावों में संलग्न करे।	उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण कर पेन ड्राइव संलग्न कर दी गयी है।

अतः वॉछित सूचना सहित प्रस्ताव की प्रतियॉ संलग्न कर आपकी सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नकः– यथोपरि (प्रस्ताव 03 प्रतियों में)

भवदीय

(राकेश कुमार सिंह)
प्रभगीय वनाधिकारी,
कन्नौज वन प्रभाग, कन्नौज

पत्रांक 319 **/समदिनांकित**

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सन्दर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

2– महाप्रबन्धक, साउथ ईस्ट यू०पी० पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010 को उनके पत्र दिनांक 29.06.2023 के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

03 फाइल मूल में प्राप्त किया (01 PD के साथ)

(राकेश कुमार सिंह)
प्रभगीय वनाधिकारी,
कन्नौज वन प्रभाग, कन्नौज

Ajay/desktop/genral/765 kv

TSR Tiwari
...2023.